प्रेस नोट ***28/10/2024***

गायब/खोए हुए मोबाइलफोन पाकर लोगों के खिले चेहरे, साइबर क्राइम थाना द्वारा 59 मोबाइलफोन (लगभग 13 लाख रूपये कीमती) को बरामद कर फोन स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के तथा क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन परिसर में स्थित साइबर क्राइम थाना द्वारा लगातार प्रयास करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त मोबाइल फोन गुमशुदगी के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण करते हुए कुल 13 लाख रूपये कीमती 59 अदद मोबाइलफोन को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक मऊ के समक्ष जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब/खोए हुए मोबाइल फोन के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गायब हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने हेतु साइबर क्राइम थाना को निर्देशित किया गया था। इस क्रम में साइबर क्राइम थाना द्वारा लगातार गम्भीरतापूर्वक प्रयास करते हुए उक्त गायब/खोए हुए 59 अदद मोबाइलफोन को बरामद किया गया था जिसको आज दिनांक 28.10.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पुलिस लाइन परिसर में मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

इस क्रम में थाना कोतवाली अन्तर्गत 06 मोबाइलफोन, थाना सरायलखंसी अन्तर्गत 16 मोबाइलफोन, थाना दक्षिणटोला अन्तर्गत 06 मोबाइलफोन, थाना घोसी अन्तर्गत 05 मोबाइलफोन, थाना कोपागंज अन्तर्गत 06 मोबाइलफोन, थाना दोहरीघाट अन्तर्गत 01 मोबाइलफोन, थाना मधुबन अन्तर्गत 04 मोबाइलफोन, थाना रामपुर अन्तर्गत 02 मोबाइलफोन, थाना हलधरपुर अन्तर्गत 07 मोबाइलफोन, थाना मुहम्मदाबाद अन्तर्गत 01 मोबाइलफोन, थाना चिरैयाकोट अन्तर्गत 02 मोबाइलफोन तथा थाना रानीपुर अन्तर्गत 03 मोबाइलफोन मोबाइल स्वामियों को उनके गायब/खोए हुए फोन सुपुर्द किये गये।

मोबाइल फोन गायब होने पर तत्काल क्या करेः-

किसी का मोबाइल कही खो जाता है या गायब हो जाता है तो तुरन्त अपने ऑपरेटर से बात कर गायब हुई मोबाइल के सिम कार्ड को ब्लाक कर नया सिम प्राप्त कर लें। चोरी या खोए हुए मोबाइलफोन का आजकल अपराध में प्रयोग किया जा रहा है जैसे किसी को धमकी देना, या सिम बैक से लिंक है तो आपके साथ फाइनेंन्सियल फ्राड होने की सम्भावना काफी हद तक बढ जाती है या आपकी सिम सोशल मीडिया से लिंक है तो उसको हैक कर सोशल मीडिया भी दुरूपयोग किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आप यूपी कॉप एप पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है या आप अपने जनपद सम्बन्धित थाने पर सम्पर्क कर सकते है।

आप भारत सरकार के सीईआइआर पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते है जिससे आप के आईएमईआई नम्बर को ब्लाक कर दिया जाता है और आपके मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पर लगा दिया जाता है। उक्त पोर्टल का लिंक https://www.ceir.gov.in है।

बरामदकर्ता साइबर क्राइम थाना टीम-

प्र0नि0 हरेन्द्र कुमार यादव मय साइबर टीम।

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया रमेश सिंह उर्फ काका (आईआर गैंग 212) का सहयोगी व हिस्ट्रीशीटर भैरव सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने माता व पिता के नाम खरीदी गयी अचल संपत्ति (लगभग 02 करोड़ 27 लाख 72 हजार 800 रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्र्तगत किया गया कुर्क–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी, थाना हलधरपुर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा शातिर अभियुक्त भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना सरायलखंसी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) उ0प्र गिरोह बंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से वर्ष 2024 में मौजा मोहिउद्दीनपुर परगना भदांव तहसील सदर जनपद मऊ में स्थित गाटा संख्या 574 मि0 कुल रकबा 60.76 वर्गमीटर जिसपर निर्मित दो मंजिला मकान अपनी माता अधरेषा सिंह व अपने पिता दिनेश सिंह के नाम क्रय किया था । जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 02 करोड़ 27 लाख 72 हजार 800 रुपये है। अभियुक्त भैरव सिंह के पास आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नही है जिससे उक्त भूखण्ड को क्रय किया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 19.09.2024 को उक्त भूखण्ड को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 26.09.2024 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्र्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 28.10.2024 को थाना सरायलखंसी पुलिस, थाना हलधरपुर पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया।

चोरी की 12 किग्रा प्लास्टिक पाइप के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.10.2024 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिगं के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गोकुलपुरा के पास से मु0अ0सं0 190/24 धारा 303,317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त बलिराम बल्ली पुत्र जगपतिराम निवासी गोकुलपुरा थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 12 किग्रा प्लास्टिक पाइप बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा दिनांक 23-10-2024 को मु0अ0सं0 1561/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त मुसड़ी उर्फ सहजानन्द सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासी लारपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹1500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।